

फद अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर  
जिला हनुमानगढ

हिमांशु

बनाम

गौरीशंकर आदि

किस्म मुकदमा 88 , आर.टी.एक्ट.

नम्बर

सन-2019

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
24.06.2019	वादी अभिभाषक की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06.09.2019 को पेश हो।	
6.9.19	गौरीशंकर आदि उपरी प. 081. कल नाम से लपट है। प्रतिवादीगण राज. तलबी हेतु रिपोर्ट 14.11.19 को पेश हो।	
14/11/19	पाठ्यपत्रों के माध्यम से जज को सूचित किया गया कि पत्रावली दि. 07/11/20 को पेश हो।	
20/11/19	<p>वकील-वादी एवं वादी द्वारा जज निवेदन पर पत्रावली पेश की गई वकील-वादी व वादी के निवेदन विचार कर वह सम्पर्क प्रशिक्षण वाद नहीं चलाना चाहता है इसलिए वाद वादी पर रिज किया गया।</p> <p>- वादी व वादी के अधिवक्ता के द्वारा सम्पर्क वाद नहीं चलाने के कारण वाद वादी द्वारा रिज किया जावे है पत्रावली नम्बर से जज की जांच का रिपोर्ट पेश हो।</p> <p>आदेश-वकील द्वारा वाद नम्बर 88</p>	<p>रेशमी</p> <p>पट्टनम</p> <p>रजिस्ट्रार</p> <p>12</p>



उपखण्ड अधिकारी  
नोहर